UPAD010046132020

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या 02, इलाहाबाद।

पीठासीनः चन्द्रपाल–द्वितीय (उच्चतर न्यायिक सेवा)

निगरानी संख्या 88/2020

मुकेश कुमार अग्रवाल पुत्र श्री प्रभू दयाल अग्रवाल निवासी 883 दरियाबाद थाना करैली जिला प्रयागराज। ..... निगरानीकर्ता।

बनाम

1. उत्तर प्रदेश राज्य

2. अनिल कुमार सोनकर पुत्र हरी लाल सोनकर निवासी 426बी पुराना कटरा थाना कर्नलगंज प्रयागराज।

3. प्रबंधक मैगमा फिनकार्प लिमिटेड शाखा कार्यालय 5 एल्गिन मार्ग सिविल लाईन्स थाना सिविल लाइन्स जनपद प्रयागराज। ..... विपक्षीगण।

<u>निर्णय</u>

प्रस्तुत दांडिक निगरानी धारा 397 दं.प्र.सं. विपक्षीगण के विरूद्ध विद्वान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कक्ष संख्या 05 इलाहाबाद द्वारा रिलीज प्रार्थना पत्र संख्या 594/2019 सरकार बनाम मुकेश कुमार धारा 207 मोटर वाहन अधिनियम थाना कर्नलगंज अज्ञात थाना प्रयागराज में पारित आदेश दिनांक 23.12.2019 के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है, जिसके द्वारा विद्वान अवर न्यायालय ने वाहन पंजीकृत स्वामी की विधिवत पहचान सुनिश्चित कराकर उसकी सुपुर्दगी में मुक्त किया जाये।

2. प्रश्नगत आदेश को इस आधार पर चुनौती दी गयी है कि माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश तथ्यों एवं साक्ष्यों के विपरीत आधारहीन है। माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश त्रुटिपूर्ण एवं विधि विधान के विपरीत है। निगरानीकर्ता द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष निगरानीकर्ता के वाहन बगैनार कार वाहन संख्या यू.पी.70सीजे 5692 जो थाना कर्नलगंज द्वारा मौके पर कागजात न होने के कारण अपनी सुपुर्दगी में ले लिया गया था, को रिलीज करने हेतु प्रार्थनापत्र दिया था तथा उसी वाहन को विपक्षी संख्या 2 द्वारा अपने पक्ष में रिलीज करने हेतु प्रार्थनापत्र दिया था तथा उसी वाहन को विपक्षी संख्या 2 द्वारा अपने पक्ष में रिलीज करने हेतु प्रार्थनापत्र दिया था जिस पर माननीय अवर न्यायालय द्वारा उक्त वाहन को क्रय करने मे वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने वाली कम्पनी विपक्षी संख्या 3 को नोटिस भेजकर वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु तथा निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रपत्रों के सत्यापन कराने हेतु दिनांक 04.06.2019 को आदेश पारित किया था। उक्त आदेश के क्रम में विपक्षी संख्या 3 द्वारा निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रपत्रों का सत्यापन करते हुए अपना पक्ष दिनांक 13.12.2019 को अवर न्यायालय के समक्ष रखा था। विपक्षी संख्या 3 द्व

ारा माननीय अवर न्यायालय के समक्ष स्पष्ट रूप से अपनी आपत्ति में उल्लिखित किया गया था कि विपक्षी संख्या 2 द्वारा वाहन से संबंधित ऋण की किश्ते अदा नही किया जा रहा था जिसके बाबत विपक्षी संख्या 3 नियमानुसार कार्यवाही करते हुए वाहन को अपनी सुपुर्दगी में लेकर उक्त वाहन को जरिये नीलामी निगरानीकर्ता के हक में दिनांक 30.12.2017 को जरिये सेल एग्रीमेण्ट विक्रय किया गया था तब से बतौर स्वामी निगरानीकर्ता उक्त वाहन को अपने उपयोग उपभोग में ला रहा है किंतु माननीय अवर न्यायालय द्वारा किंचित मात्र निगरानीकर्ता के प्रार्थनापत्र व मैगमा फिनकार्प द्वारा प्रस्तुत विपक्षी संख्या 1 के प्रार्थनापत्र पर आपत्ति पर ध्यान दिये वगैर आदेश पारित किया गया है जो विधिक रूप से पोषणीय नही है। माननीय अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.12.2019 में निगरानीकर्ता के रिलीज प्रार्थनापत्र पर कोई आदेश ही पारित नही किया है न ही निगरानीकर्ता के प्रार्थनापत्र का अपने आदेश में कोई उल्लेख किया है न ही विपक्षी संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत आपत्ति का ही कोई उल्लेख किया है। मात्र सरसरी तौर पर उक्त वाहन को अनिल कुमार सोनकर के हक में रिलीज करने हेतु आदेश दिनांक 23.12.2019 को पारित कर दिया गया है जो प्रत्येक दशा में खंडित होने योग्य है। न्यायहित में निगरानी स्वीकार करते हुए प्रश्नगत आदेश दिनांक 23.12. 2019 को खंडित करते हुए अवर न्यायालय को निर्देशित किया जावे कि पुनः साक्ष्यों का परिशीलन करते हुए वाहन को निगरानीकर्ता के हक में रिलीज करने हेतु आदेश पारित करने की कृपा करें। उक्त आधार पर अवर न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांक 23.12.2019 खंडित करते हुए वाहन को निगरानीकर्ता के हक में रिलीज करने की याचना की गयी है।

3. विपक्षी संख्या 2 अनिल कुमार सोनकर की ओर से आपत्ति 12ख इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि मारूति वाहन जिसका नंबर यू.पी.70सीजे–5692 है, का वास्तविक स्वामी है, जो ट्रांसपोर्ट विभाग से रजिस्टर्ड प्रमाण पत्र जारी है। विपक्षी संख्या 2 ने मैगमा फिनकार्प लिमिटेड से 3,20,000/– रूपया लोन लिया था जिसको 36 किश्तों में जमा करना था। प्रथम किश्त दिनांक 10.01.2014 को तथा अंतिम किश्त 10.12.2016 को जमा की गयी। मैगमा फिनकार्प लिमिटेड ने दो केस विपक्षी के विरूद्ध योजित किया है। प्रथम एकपक्षीय आरबिर्टेशन कार्यवाही तथा दूसरा धारा 138 एन.आई.एक्ट के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया। विपक्षी संख्या 2 का इजरा वाद संख्या 131/2017 में जिला जज इलाहाबाद से नोटिस प्राप्त हुआ। आरबिर्टेशन वाले मुकदमें में विपक्षी न्यायालय में उपस्थित होकर पैसा जमा करने के लिए प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया परन्तु मैगमा फिनकार्प लिमिटेड की ओर से कोई उपस्थित नही हुआ। यह पत्रावली लोक अदालत में नियत की गयी जो आज भी विचाराधीन है। दिनांक 13.05.2019 को पुलिस के द्वारा उक्त वाहन

को धारा 207 एम.वी. एक्ट के अंतर्गत चालान किया गया। इसके पश्चात विपक्षी के द्वारा पेनाल्टी का भुगतान करके वाहन को रिलीज कराने हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया जिसको दिनांक 23.12.2019 विपक्षी के पक्ष में वाहन रिलीज कर दिया गया, जिसके विरूद्ध यह निगरानी दाखिल की गयी है। विपक्षी को दिनांक 23.12.2019 को निगरानी की जानकारी हुई, दूसरा मुकदमा मैगमा फिनकार्प लिमिटेड के द्वारा सीएस नंबर 74576/2016 मैगमा फिनकार्प लिमिटेड बनाम अनिल कुमार सोनकर, अंतर्गत धारा 138 एन.आई.एक्ट कलकत्ता में दाखिल किया गया। इस मुकदमें में मैगमा फिनकार्प लिमिटेड की ओर से मुकदमा वापस लिया गया तथा न्यायालय के आदेश दिनांक 19.12.2020 को वापस लेने की अनुमति प्रदान की गयी तथा विपक्षी अनिल कुमार सोनकर को दोषमुक्त किया गया। न्यायालय के द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांक 23.12.2019 विधि के अनुसार सही है क्योंकि प्रश्नगत वाहन का विपक्षी वास्तविक स्वामी है। उक्त आधार पर निगरानी निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

4. निगरानीकर्ता काफी समय से न्यायालय में उपस्थित नही है। निगरानीकर्ता को कई बार अंतिम अवसर प्रदान किये गये। विपक्षी संख्या 2 मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित है तथा निगरानीकर्ता की अनुपस्थित में विपक्षी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्तागण की तर्कपूर्ण बहस को सुना तथा तलबशुदा पत्रावली का अवलोकन किया।

5. तलबशुदा पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विपक्षी अनिल कुमार सोनकर रिलीज प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया जिस पर विद्वान विचारण न्यायालय ने गुण दोष पर सुनवाई के पश्चात् प्रश्नगत आदेश पारित करते हुए प्रभारी निरीक्षक कर्नलगंज इलाहाबाद को निर्देशित किया जाता है कि वाहन उपरोक्त यदि किसी अन्य मामले में वांछित न हो तो उसे पंजीकृत स्वामी की विधिवत पहचान सुनिश्चित कराकर उसकी सुपुर्दगी में मुक्त किया जाये। प्रश्नगत आदेश दिनांक 23.12.2019 से क्षुब्ध होकर निगरानीकर्ता की ओर से इस आधार पर निगरानी योजित किया गया है कि विपक्षी संख्या 3 ने माननीय अवर न्यायालय के समक्ष स्पष्ट रूप से अपनी आपत्ति में उल्लिखित किया गया था कि विपक्षी संख्या 2 द्वारा वाहन से संबंधित ऋण की किश्ते अदा नही किया जा रहा था जिसके बाबत विपक्षी संख्या 3 नियमानुसार कार्यवाही करते हुए वाहन को अपनी सुपुर्दगी में लेकर उक्त वाहन को जरिये नीलामी निगरानीकर्ता के हक में दिनांक 30.12.2017 को जरिये सेल एग्रीमेण्ट विक्रय किया गया था तब से बतौर स्वामी निगरानीकर्ता उक्त वाहन को अपने उपयोग उपभोग में ला रहा है किंतु माननीय अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.12.2019 में निगरानीकर्ता के रिलीज प्रार्थनापत्र पर अपने आदेश में उल्लेख किया है। विपक्षी संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत आपत्ति का ही कोई उल्लेख नही किया है। मात्र सरसरी तौर पर उक्त वाहन को अनिल कुमार

सोनकर के हक में रिलीज करने हेतु आदेश दिनांक 23.12.2019 को पारित कर दिया गया है परन्तु निगरानीकर्ता के इस तर्क में कोई बल नही है क्योंकि प्रश्नगत वाहन संख्या यू.पी.70सीजे–5692 उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग में अनिल कुमार सोनकर का नाम दर्ज है और उसी के हक में आर.सी. जारी है। निगरानीकर्ता/विपक्षी के द्वारा एग्रीमेण्ट आफ सेल की छाया प्रति दाखिल की गयी है परन्तु उक्त वाहन का रजिस्ट्रेशन आफिस में अपना नाम पंजीकृत नही कराया गया है। इसके अतिरिक्त विपक्षी संख्या 2 की ओर से यह आपत्ति की गयी है कि विपक्षी ने मैगमा फिनकार्प लिमिटेड से 3,20,000/– रूपया लोन लिया था तथा कम्पनी ने विपक्षी के विरूद्ध दो मुकदमा आरबिर्टेशन इजरा केस नंबर 131/2017 धारा 36 आरबिर्टेशन एक्ट के अंतर्गत प्रस्तुत किया था जो आज भी विचाराधीन है। दूसरा वाद अंतर्गत धारा 138 एन.आई.एक्ट कलकत्ता में योजित किया गया। इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध सभी अभिलेखीय साक्ष्य से यह साबित होता है कि विपक्षी संख्या 2 अनिल कुमार सोनकर प्रश्नगत वाहन का वास्तविक स्वामी है और विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा आर.सी. का अवलोकन करने के पश्चात धारा 207 एम.वी.एक्ट के अंतर्गत विपक्षी के पक्ष में वाहन रिलीज का आदेश पारित किया गया है। विद्वान विचारण न्यायालय ने प्रश्नगत आदेश दिनांक 23.12.2019 पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखीय साक्ष्य के आधार पर सही प्रकार से पारित किया है। विद्वान अवर न्यायालय ने प्रश्नगत आदेश दिनांक 23.12.2019 पारित करते समय विधि एवं तथ्य में कोई त्रुटि नही की है और न ही कोई अनियमितता बरती है। अतः उपरोक्त निष्कर्ष के आधार पर निगरानीकर्ता का निगरानी निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी निरस्त की जाती है। तलबशुदा पत्रावली अविलंब वापस हो।

दिनांकः 10.04.2023

(चन्द्रपाल–द्वितीय)
अपर सत्र न्यायाधीश,कक्ष संख्या 2,
इलाहाबाद।
JO Code-UP-6072

निर्णय आज खुले न्यायालय में दिनांकित एवं हस्ताक्षरित कर उद्घोषित किया गया।

दिनांकः 10.04.2023

(चन्द्रपाल–द्वितीय)
अपर सत्र न्यायाधीश,कक्ष संख्या 2,
इलाहाबाद।
JO Code-UP-6072